पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से पाया कि डा० का मं०
अंकित ग्रा० नं० का [illegible] हुआ है और
ना ही विवादित है। [illegible] LR Act की धारा 126
में विवादित भूमि का सीमांकन व पत्रावली की गत
मनाही है। अतः पत्रावली में सीमांकन व अन्य [illegible] विवादित
रहे होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible]
[illegible] में बाद वापिस प्रस्तुत हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ram Meena
Date: 2025.08.16 12:02:01 IST
Reason: SelfAttested